सत्यमेव जयते	**राजस्थान राजपत्र** **विशेषांक**	RAJASTHAN GAZETTE **Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	श्रावण 15, रविवार, शाके 1945-अगस्त 06, 2023 *Sravana 15, Sunday , Saka 1945- August 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2023

संख्या प. 9(18)राज-1/2022-(5) :-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

<u>जिलों का गठन/पुनर्गठन</u>

1.डीडवाना-कुचामन- नागौर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला डीडवाना-कुचामन गठित किया जाता है।

मिनी सचिवालय भवन के तैयार होने तक मुख्यालय अस्थाई रूप से डीडवाना रहेगा।

नवगठित डीडवाना-कुचामन जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
डीडवाना-कुचामन	1. डीडवाना	डीडवाना
		मौलासर
		छोटी खाटू
	2. लाडनूं	लाडनूं
	3. परबतसर	परबतसर
	4. मकराना	मकराना
	5. नावां	नावां
	6. कुचामनसिटी	कुचामनसिटी

2. नागौर-पुनर्गठित नागौर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
नागौर	1. नागौर	नागौर
	2. मूण्डवा	मूण्डवा
	3. खींवसर	खींवसर
	4. जायल	जायल
		डेह
	5. मेड़ता	मेड़ता

	6. रियांबड़ी	रियांबड़ी
	7. डेगाना	डेगाना
		सांजू

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

अपर्णा अरोरा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।